

न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड Nuclear Power Corporation of India Ltd.

(भारत सरकार का उद्यम A Government of India Enterprise)



कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट Kudankulam Nuclear Power Project

कुडनकुलम पोस्ट, राधापुरम तालुक, तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु-627106

Kudankulam P.O., Radhapuram Taluk, Tirunelveli District, Tamil Nadu-627106

रा. अमृतवल्ली, वरिष्ठ प्रबंधक (विधि) R.Amirthavalli, Senior Manager (Legal)

☎ 04637- 282126 📠 04637- 282130

ई-मेल E-mail: ramirthavalli@npcil.co.in

सं. No. एनपीसीआईएल NPCIL/केकेएनपीपी KKNPP/एस S/2022/101

Date : 28/03/2022

एनपीसीआईएल, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट (केकेएनपीपी) के लिए एवं की ओर से वाद-विवादों/न्यायालय प्रकरणों की देख-रेख हेतु अधिवक्ताओं/विधि फर्मों के सूचीबद्धता हेतु अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण सूचना।

Notice inviting Expression of Interest (EoI) for empanelment of Advocates/ Law Firms for handling the litigations/Court Cases for and on behalf of NPCIL, Kudankulam Nuclear Power Project (KKNPP).

न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड(एनपीसीआईएल) परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्यम है। एनपीसीआईएल को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत भारत सरकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के अनुपालन में परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के अधीन विद्युत उत्पादन हेतु परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के प्रचालन एवं परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी के रूप में निगमित किया गया था। देश के विभिन्न स्थानों पर हमारे बिजलीघर/परियोजनाएँ स्थित हैं तथा कोर्पोरेट कार्यालय मुंबई है।

Nuclear Power Corporation of India Ltd. (NPCIL) is a Public Sector Enterprise under the administrative control of the Department of Atomic Energy (DAE), Govt. of India. NPCIL was incorporated as Public Limited Company under the Companies Act, 1956 with the objective of operating atomic power plants and implementing atomic power projects for generation of electricity, in pursuance of the schemes and programmes of the Government of India under the Atomic Energy Act, 1962. We have our Power Stations/projects located at different parts of the country having its Corporate Office at Mumbai.

वर्तमान में हम, एनपीसीआईएल, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट (केकेएनपीपी) के लिए एवं की ओर से माननीय मद्रास उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय के मदुरै बेंच एवं अन्य जिला न्यायालय (तिरुनेलवेली एवं नागरकोइल), औद्योगिक न्यायाधिकरण, और अन्य न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों/तमिलनाडु में स्थित न्यायाधिकरण के समक्ष वाद-विवादों की देख-रेख हेतु अधिवक्ताओं/विधि फर्मों की तलाश में हैं। हमारे वाद-विवादों के क्षेत्र में सेवा मामले, श्रम मामले, रिट याचिकाएँ, पीआईएल, व्यावसायिक विवाद, कर मामले इत्यादि सम्मिलित हैं।

Presently, we are looking for Advocates / Law Firms for handling litigations for and on behalf of NPCIL, Kudankulam Nuclear Power Project (KKNPP) before the Hon'ble Madras High court, Madurai Bench of Madras High Court and other District Courts (Tirunelveli and Nagercoil), Radhapuram Sub Court, Industrial Tribunal, other Judicial and Quasi Judicial Authorities / Tribunals situated at TamilNadu. The area of our litigation inter-alia includes service matters, labour matters, Writ Petitions, PIL, commercial disputes, Tax matters, etc.

इच्छुक अधिवक्ता/विधि फर्मों संलग्न प्रोफोर्मा में अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। पात्रता का विवरण एवं सूचीबद्धता हेतु अन्य शर्तें एवं निबंधन निम्न प्रकार है:

Interested Advocates/Law Firms may submit their applications in the attached proforma. The details for eligibility and other terms and conditions for empanelment are given below:

1. सूचीबद्धता हेतु पात्रता Eligibility for Empanelment:

जिला न्यायालयों में At District Courts

- (i) अधिवक्ताओं/विधि फर्मों को माननीय उच्च न्यायालय/न्यायाधिकरण/न्यायालय के समक्ष 15 वर्ष का पेशेवर अनुभव होना चाहिए। (बशर्ते कि कुछ मामले अन्यथा पात्र पाए जाने पर सक्षम प्राधिकारी स्व-विवेक से उक्त शर्तों में छूट दे दे।)

The Advocates/ Law Firms are required to have a minimum of 15 years of professional experience before the Honorable High court/Tribunals/Court. (Provided that the Competent Authority may relax the above conditions at its discretion, if otherwise found eligible in certain cases).

मद्रास उच्च न्यायालय में At Madras High Court

अधिवक्ताओं/विधि फर्मों को माननीय उच्च न्यायालय/सीएटी के समक्ष 10 वर्ष का पेशेवर अनुभव होना चाहिए। (बशर्ते कि कुछ मामले अन्यथा उपयुक्त पाए जाने पर सक्षम प्राधिकारी स्व-विवेक से उक्त शर्तों में छूट दे दे।)

The Advocate / Law Firms are required to have a minimum of 10 years of professional experience before the Hon'ble High Court / CAT (Provided that the Competent Authority may relax the above conditions at its discretion, if otherwise found suitability in certain cases)

सूचीबद्धता पात्रता की शर्तें Conditions for eligibility for empanelment :

- (a) अधिवक्ता/विधि फर्मों विभिन्न विधि शाखाओं विशेष रूप से सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विभिन्न श्रेणियों में भर्ती/पदोन्नति, विभिन्न शीर्षों/श्रेणियों के तहत विभिन्न आरक्षण तथा सांविधिक कानून, श्रम कानून, औद्योगिक विवाद अधिनियम, प्रशासनिक विधि, सिविल विधि, आपराधिक विधि, व्यावसायिक विधि, माध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, कर मामले तथा अन्य कानूनों से परिचित होने चाहिए।

The Advocates/Law Firms should be familiar with various branches of Law especially those concerning recruitment/promotions in various categories in Government /Public Sector Organizations, various reservations under various heads/ categories and Constitutional Law, Labour Laws, Industrial Dispute Act, Administrative Law, Civil Laws, Criminal Laws, Commercial Law, Arbitration and Conciliation Act, Tax matters, and other Laws.

- (b) ई-कोर्ट साइट के माध्यम से पिछले पांच वर्षों के प्रकरणों की संख्या के आधार पर अधिवक्ता/विधि फर्मों की सक्षमता सत्यापित किया जाएगा। ऐसे प्रकरणों की संख्या उच्च न्यायालय में 200 से कम नहीं हो तथा जिला न्यायालय में 100 से कम नहीं हो। अधिवक्ता / विधि फर्म को अपने आवेदन के साथ ई-कोर्ट एवं उच्च न्यायालय की वेबसाइट या अन्य किसी स्रोत से उनके द्वारा की गयी पेरवी/वर्तमान में लंबित मामलों का प्रिंटआउट आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।

The competency of the advocate / law firm will be verified through the e-court site of last five years. The number of cases must be not less than 200 at high court and 100 at district court. Advocate / law firm must submit the printout of the cases dealt / presently pending cases by them from the e-court / high court website or any other sources along with their application.

- (c) अधिवक्ता/विधि फर्मों, का उसी शहर की सीमा में अपेक्षित इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं समुचित इलेक्ट्रॉनिक सुविधाओं के साथ पूर्ण व्यवस्थित कार्यालय होना चाहिए।।

The Advocates / Law Firms should have full-fledged office with requisite infrastructure and proper electronic communication facilities by all means in same city limits.

- (d) अधिवक्ता/विधि फर्म उसी संबंधित कोर्ट के बार एसोसिएशन में नामांकित होने चाहिए, जिस उच्च न्यायालय/न्यायालय के लिए वे आवेदन कर रहे हैं तथा उनके पास उसी कोर्ट के बार एसोसिएशन की सदस्यता होनी चाहिए, जिसके लिए वे आवेदन कर रहे हैं।
The advocate / law firm must have enrolled in same bar association in concerned court for which they are applying in the high court / court and they must possess membership of the bar association in the same court for which they are applying.
- (e) अधिवक्ता/विधि फर्म की उत्कृष्ट व्यावसायिक प्रतिष्ठा होनी चाहिए तथा आवश्यकता के आधार पर निर्दिष्ट वरि.अधिवक्ताओं/सोलिसिटर जनरल/अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल को नियुक्त करने में सक्षम होना चाहिए।
The Advocates / Law Firms should have excellent professional reputation and be able to engage designated Sr. Advocates / Solicitor General / Additional Solicitor Generals on need basis as per the requirement.
- (f) अधिवक्ताओं/विधि फर्मों को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/केंद्र/राज्य सरकार के विभागों के विधिक मामलों की देख-रेख का अनुभव होना चाहिए। सूचीबद्धता के लिए, सामान्यतया उन अधिवक्ताओं पर विचार किया जाएगा, जो नियमित रूप से मद्रास के माननीय उच्च न्यायालयों तथा सीजीआईटी, चेन्नै और अन्य संबंधित अदालतों में प्रेक्टिस कर रहे हैं, यदि उन्हें अन्य शर्तों के आधार पर सक्षम एवं उपयुक्त समझा जाए तथापि, निगम को अधिकार है कि वह किसी एक या उक्त सभी शर्तों में स्व-विवेक से छूट दे सकता है।
The Advocates / Law Firms should have the experience of handling legal matters of Public Sector undertakings, Central / State Government Departments. For empanelment, generally those advocates, who are regularly practicing before the Honorable Madras High Courts and CGIT, Chennai and other respective courts, would be considered, if they are otherwise found to be competent and suitable. However, the Corporation reserves the right to relax, any or all of the above conditions at its discretion.
- (g) जिन अधिवक्ताओं/विधि फर्मों को यदि पूर्व में एनपीसीआईएल, केकेएनपीपी स्थल के साथ कोई कार्य का अनुभव है तो उन्हें चयन में प्राथमिकता दी जायेगी यदि वे अन्य सभी शर्तों में अन्य की रूचि की अभिव्यक्ति के समकक्ष होते हैं।
If Advocates / Legal Firms have previously had any work experience with NPCIL, KKNPP site, they would be given preference in selection if they are equivalent to Expression of Interest of others who have participated in all other conditions.
- (h) अधिवक्ता/विधि फर्म को केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा पिछले 10 वर्ष में ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया हो तथा बार काउन्सिल द्वारा किसी भी अनुशासनिक कार्यवाही में कभी भी दण्डित नहीं किया गया हो।
The Advocate / Law Firm should not be blacklisted in the last 10 years by Central / State Government / PSU and should never been penalized by any Bar Council in any Disciplinary proceedings.
- (i) विधि फर्म / अधिवक्ता को उन्हें सौंपे गए प्रत्येक मामले की प्रगति के बारे में एनपीसीआईएल, केकेएनपीपी स्थल को मासिक आधार पर सम्बंधित विधि अधिकारी सूचित करना होगा।
The Law Firm / Advocate shall keep the NPCIL, KKNPP Site informed regarding the development of each of the matter to concerned Law Officer on monthly basis also.
- (j) चयनित विधि फर्म / अधिवक्ता किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य सहयोगी/ फ्रेंचाइजी/ तीसरे पक्ष को काम आउटसोर्स नहीं करेंगे।
The selected Law Firm / Advocate will not outsource the work to any other associate / franchise / third party under any circumstances.

2. कार्य क्षेत्र Scope of Work:

अधिवक्ता/विधि फर्मों के नामित के लिए कार्य क्षेत्र में सामान्य रूप से निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, परंतु इन तक ही सीमित नहीं होंगे :-

The Scope of work for the panel of Advocate / Law Firms shall generally include but not limited to :-

- I. संविदात्मक विवादों, सेवा मामलों, औद्योगिक विवादों तथा श्रम कानून, नाभिकीय कानून/विद्युत कानून इत्यादि मामलों पर राय (विभिन्न विधिक मामलों पर परामर्श) देना ।
Rendering opinion (advice on various Legal issues) on the matter recorded to contractual dispute service matter, Industrial Dispute and Labour Law, Nuclear Law / Electricity Law etc.
- II. विभिन्न न्यायिक प्राधिकरणों/फोरम्स/उच्च न्यायालय/ जिला न्यायालय/श्रम न्यायालय, सीजीआईटी/ सीजीआईटी सह श्रम न्यायालय, कर बोर्ड न्यायाधिकरणों, माध्यस्थता कार्यवाही इत्यादि हेतु प्रस्तुत विभिन्न विधिक दस्तावेजों/ अभिवचनों/ जवाबों की ड्राफ्टिंग तथा वेटिंग ।
Drafting and vetting of various Legal Documents / Pleading / Reply to be submitted before various Judicial Authorities / Forums / High Court / District Court / Labour Court CGIT / CGIT cum Labour Court, Tax board Tribunal Arbitration proceedings etc.
- III. एनपीसीआईएल केकेएनपीपी स्थल द्वारा सौंपे गए प्रकरण/मामले में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, सीजीआईटी, सीजीआईटी सह श्रम न्यायालय, कर बोर्ड/कर न्यायाधिकरण, फोरम, सांविधिक प्राधिकरणों के समक्ष प्रस्तुत होना तथा एनपीसीआईएल, केकेएनपीपी स्थल के बेहतर हितों की रक्षा करना ।
Appear and defend in the best interest of the NPCIL, KKNPP site before the High Court, District courts, Sub-Courts, Forums, CGIT, CGIT cum Labour Court, Tax Board / Tax Tribunal, Forum, Statutory Authorities in the case / matter assigned by the NPCIL, KKNPP site.
- IV. Any matter incidental to the above broader function / activities.

3. सूचीबद्धता की अवधि Tenure/Term of Empanelment:

प्रारंभिक सूचीबद्धता 3 वर्ष की अवधि के लिए होगा, जिसे सूचीबद्ध अधिवक्ताओं/विधि फर्मों के संतोषजनक कार्य निष्पादन के आधार पर आगे बढ़ाया जा सकेगा । वार्षिक आधार पर सूचीबद्ध अधिवक्ताओं की परफोर्मेंस की समीक्षा की जाएगी । तथापि, अवधि पूरा होने पर एवं अधिवक्ता/विधि फर्म के संतोषजनक निष्पादन पर सूचीबद्धता निगम के निर्णयानुसार आगे अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकेगा । अधिवक्ता/विधि फर्म के सूचीबद्धता को किसी भी समय रद्द करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित है ।

The initial empanelment shall be made for a period of 3 years, which can further be extended subject to satisfactory performance of the empaneled Advocate /Firms. Performance of empanelled advocates shall be reviewed on annual basis. However, on completion of the term and satisfactory performance of the Law Firms/Advocate, the empanelment may be renewed for a further period as Corporation may decide. Corporation reserves the right to terminate the empanelment of any Advocates/Law Firms at any time.

4. ईओआई में संशोधन Amendment to EOI:

प्रस्ताव प्राप्त करने की अंतिम तिथि से पूर्व किसी भी समय, एनपीसीआईएल, केकेएनपीपी स्थल किसी भी कारण से चाहे स्वयं द्वारा पहल करके अथवा संभावित आवेदनकर्ताओं के स्पष्टीकरण के प्रत्युत्तर में ईओआई दस्तावेज को एक संशोधन द्वारा आशोधित कर सकता है । संभावित अभ्यर्थी संशोधन को ध्यान में रख कर अपने प्रस्ताव तैयार कर सके, इसके लिए उपयुक्त समय प्रदान किए जाने के लिए एनपीसीआईएल, केकेएनपीपी स्थल अपने विवेकाधिकार से प्रस्ताव प्राप्त करने की अंतिम तिथि का विस्तार कर सकता है अथवा ईओआई में उल्लिखित आवश्यकता में अन्य परिवर्तन कर सकता है ।

At any time, prior to the last date for receipt of proposal, NPCIL, KKNPP site may for any reason whether as its own initiative or in response to a clarification requested by prospective applicants, modify the EOI document by an amendment. In order to provide prospective applicants the reasonable time in which to take the amendment into account in preparing their proposals, NPCIL, KKNPP site, may at its discretion extend the last date for receipt of proposals and or make other changes in the requirement set out in the EOI.

5. शुल्क का भुगतान तथा अन्य शर्तें Payment of Fee and other conditions:

- a. **विधिक शुल्क दो चरणों में :** प्रथम बिल प्रति-हलफनामा भरे जाने के पश्चात भुगतान किया जाएगा तथा द्वितीय प्रकरण पर निर्णय हो जाने अर्थात् राय सहित निर्णय की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति पर किया जाएगा। शुल्क संरचना सूचीबद्धता की तिथि से वैध रहेगी तथा आगे आदेश तक लागू रहेगी। बीजक प्रस्तुत किए जाने के पश्चात भुगतान किया जाएगा। बिलों में से नियमों के अनुसार प्रयोज्य कर की स्रोत पर कटौती की जाएगी।

Legal fee in two stages: First bill payment shall be made after filing of Counter Affidavit and second after the case is decided i.e. on the receipt of certified copy of the Judgment along with opinion. Fee structure shall remain valid from the date of empanelment and shall remain in force till further orders. Payment shall be released after submitting invoices. Applicable taxes will be deducted at source from the bills as per the Law.

- b. सूचीबद्ध विधि फर्म/अधिवक्ता केवल प्रभावी सुनवाई की दशा में ही उपस्थित होने के लिए पूरे शुल्क का दावा कर सकेंगे। प्रभावी सुनवाई प्रभार केवल 10 संख्या (प्रथम उपस्थिति को छोड़कर) तक सीमित किए जाएँगे। प्रभावेत्तर सुनवाई हेतु अधिवक्ता/विधि फर्म पूर्ण शुल्क का 50% के लिए पात्र होंगे।

The empanelled Law Firms/Advocate may claim full fees for appearance only in cases of effective hearing. The effective hearing charges will be restricted to 10 numbers (except First appearance). For non-effective hearing the Advocates/Law firms shall be entitled 50% of the full fees.

- i) 'प्रभावी सुनवाई' से तात्पर्य ऐसी सुनवाई, जिसमें किसी मामले में लिप्त एक अथवा दो अथवा सभी पार्टियों को न्यायालय द्वारा सुना जाता है, किसी भी पार्टी के वकील द्वारा बहस की जाती है, मुख्य परीक्षा, प्रति-परीक्षा की जाती है, विवाद/आरोप अधिरोपित किए जाते हैं तथा बयान अभिलेखित किए जाते हैं, आदेश पारित किए जाते हैं।

'Effective Hearing' shall mean a hearing in which either one or both or all the parties involved in a case are heard by the court, arguments were advanced by the Counsel of any of the parties, Examination-in-chief, cross examination is conducted, issues/charges has been framed and statement recorded, Order passed.

- ii) 'प्रभावेत्तर सुनवाई' में वे सभी सुनवाई सम्मिलित हैं, जो कि प्रभावी सुनवाई की उक्त परिभाषा में सम्मिलित नहीं है।

'Non-effective Hearing' shall mean all hearings which are not covered in the above definition of effective hearing.

- c. जिसमें दो या अधिक मामलों में पर्याप्त रूप से एक जैसे अथवा समान क़ानूनी प्रश्न अथवा तथ्य सम्मिलित हों, ऐसे मामलों में से एक को मुख्य मामले के रूप में माना जाएगा, तथा अन्य को समकक्ष/संबद्ध मामले माना जाएगा और अधिवक्ता/विधि फर्म को मुख्य मामले का पूरा शुल्क भुगतान किया जाएगा तथा समकक्ष अथवा समान संबद्ध मामलों के लिए मुख्य मामले का 50% शुल्क (वास्तविक टंकण, फोटो कॉपी, कोर्ट फ़ीस, लिखाई प्रभार के सिवाय) भुगतान किया जाएगा।

Where two or more cases involving substantially identical or similar question of law or facts, one of such cases will be treated as lead case and others as identical/connected cases and the advocate/Law firms shall be paid full fee for the main case and 50% of the fee of main case for each of the identical or similar connected cases (except typing, photocopy, court fees, Clearkage expenses).

- d. विविध व्यय यथा फाइलिंग प्रभार, टाईपिंग, फोटोकॉपी, कोर्ट शुल्क, अन्य आनुषंगिक व्यय इत्यादि वास्तविक आधार पर भुगतान किए जाएँगे। यदि वास्तविक बिल संभव नहीं है तो स्व-सत्यापन की अनुमति होगी।
The miscellaneous expenses such as filing charges, typing, photocopy, court fees other incidental expenses, etc. will be paid on actual basis. Self certification shall be permissible where bills are not feasible.
- e. लिखाई शुल्क कुल शुल्क का 10 % तक होगा।
Clearkage shall be 10% of the total fees.
- f. सूचीबद्ध विधि फर्मों/अधिवक्ताओं को प्रोफेशनल फीस एवं अन्य खर्चों के लिए निर्धारित प्रारूप में अपने बिल अलग-अलग प्रस्तुत करने होंगे।
The empanelled Law Firms / Advocates has to submit their bills separately for professional fees and other expenses in prescribed format.
- g. यदि वरिष्ठ कौन्सेल/एजी/एसजी/एएसजी को निगम की सहमति से आवश्यकतानुसार विचार-विमर्श अथवा माननीय उच्च न्यायालय/न्यायाधिकरण के समक्ष उनकी उपस्थिति के लिए नियुक्त किया जाता है तो शुल्क का भुगतान वरिष्ठ कौन्सेल/एजी/एसजी/एएसजी जैसी भी स्थिति हो, के बिल/मेमो प्रस्तुत किए जाने पर, निगम द्वारा वास्तविक आधार पर किया जाएगा।
If a Senior Counsel/AG/SG/ASG is engaged after the consent of the Corporation for conference or his appearance before the Hon'ble High Court/Tribunal as per the requirement, the fees shall be paid by the Corporation on actual basis on production of bill/memo of the Senior Counsel/AG/SG/ASG as the case may be.
- h. सूचीबद्ध अधिवक्ता/विधि फर्म निगम से किसी भी प्रकार के रिटेनरशिप शुल्क के भुगतान के लिए पात्र नहीं होंगे।
The empanelled Advocate/Law firm shall not be eligible for payment of any kind of retainership from the Corporation

6. सूचीबद्धता करने हेतु कार्यविधि Procedure for empanelment:

सिद्ध टेक रिकॉर्ड सहित सम्यक आधारभूत संरचना, सक्षमता एवं सामर्थ्य रखने वाले विधि फर्मों/अधिवक्ताओं को सूचीबद्धता करने के लिए विचार किया जाएगा। पात्रता मानदंड, पूर्व अनुभव, प्रत्यय पत्र एवं उद्धृत शुल्क के आधार पर सूचीबद्धता किया जाएगा। तथापि, मात्र पात्रता मानदंड पूर्ण करने अथवा न्यूनतम शुल्क उद्धृत करने से ही किसी विधि फर्म/अधिवक्ताओं को सूचीबद्धता के योग्य नहीं माना जाएगा। ईओआई प्राप्त होने की संख्या के आधार पर यथावश्यक संख्या में जो भी विधि फर्म/अधिवक्ता उपयुक्त लगे, उन्हें सूचीबद्ध करने का अधिकार कॉर्पोरेशन के पास सुरक्षित है। विधि फर्म/अधिवक्ताओं को सूचीबद्ध करने की संख्या, विधि फर्म/अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर उनकी पात्रता, शोर्टलिस्ट करना, प्रकरणों का आबंटन इत्यादि संबंधी समस्त मामलों में कॉर्पोरेशन का निर्णय अंतिम होगा एवं संबंधित विधि फर्म/अधिवक्ताओं पर बाध्यकारी होगा। इस संबंध में कॉर्पोरेशन द्वारा किसी भी प्रकार का पत्राचार अथवा वैयक्तिक पूछताछ पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

Law Firms/Advocates having adequate infrastructure, competence & capability with proven track record, will be considered for empanelment. The empanelment will be on the basis of eligibility criteria, past experience, credentials and the fees quote. However, merely satisfying the eligibility criteria or quoting the lowest fees will not entitle Firm/Advocates to be empaneled. Depending upon the number of EOIs received, Corporation reserves its right to empanel only the required number of Advocates/Firms as they deemed fit. Decision of Corporation in all the matters regarding number of Advocates/firms to be empaneled, their eligibility as per the documents produced by Advocates/Law Firms, short listing, allotment of cases, etc. will be final and binding on the Advocates/firms. No correspondence or personal enquiries shall be entertained by the Corporation in this regard.

7. सूचीबद्धता की सूचना Communication of Empanelment:

संबंधित अधिवक्ता/विधि फर्म को सूचीबद्ध करने का निर्णय हो जाने के उपरांत, इस आशय की लिखित सूचना अधिवक्ताओं/विधि फर्मों को पावती एवं देय स्वीकृति के लिए भेजी जाएगी। सूचीबद्धता करने की यह प्रक्रिया तब पूर्ण होगी जब संबंधित अधिवक्ताओं/विधि फर्म से **बिनाशर्त “ स्वीकृतिपत्र ”** लिखित में कॉर्पोरेशन को प्राप्त होगा। यह ईओआई एनपीसीआईएल, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट (केकेएनपीपी) एवं संबंधित चयनित अधिवक्ता/विधि फर्म के मध्य संविदा के निबंधन एवं शर्तों के रूप में संविदा का एक भाग होगी ।

After a decision to empanel the Advocates /Law firms is taken, a communication in writing to this effect shall be sent to the Advocates /Law Firms with acknowledgement and acceptance due. The process of empanelment shall be completed when the Corporation receives an **unconditional “acceptance letter”** from the Advocates /Law Firms in writing. This EOI will be the part of contract between NPCIL , Kudankulam Nuclear Power Project (KKNPP) and the concerned selected Advocate / Law Firm as a terms and conditions of contract.

8. निर्योग्यताएं Disablements:

अधिवक्ता/विधि फर्मों की निर्योग्यता का आशय इस प्रकार समझा जाएगा एवं उनमें निम्नलिखित में से कोई भी सम्मिलित होगा :

Disablement on the part of the Advocate/Law Firms shall mean and include any of the following:

- i) सूचीबद्धता के आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करना ।
Furnishing false information in the application for empanelment;
- ii) बिना पर्याप्त कारण एवं बिना पूर्व सूचना के सुनवाई में उपस्थित होने में असमर्थ रहना ;
Failing to attend the hearing of the case without sufficient reasons and prior information;
 - a) कॉर्पोरेशन के निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं करना अथवा विशिष्ट निर्देशों के विरुद्ध जाना
Not acting as per Corporation instructions or going against specific instructions;
 - b) मांगे जाने पर ब्रीफ वापस नहीं करना अथवा मांगे जाने पर उसके निरीक्षण की अनुमति नहीं देना अथवा उससे बचना।
Not returning the brief when demanded or not allowing or evading to allow its inspection on demand.
- iii) कॉर्पोरेशन से संबंधित मामलों/अपीलों में विरोधी पार्टियों की ओर से उपस्थित होना; एवं
Making appearances on behalf of any of the opposite parties in cases/appeals related to Corporation; and
- iv) वाद की कार्यवाही के संबंध में कॉर्पोरेशन को गलत एवं भ्रामक सूचना प्रदान करना
Giving false or misleading information to the Corporation relating to the proceedings of the case
- v) बिना किसी पर्याप्त कारण के बार-बार स्थगन लेना अथवा अन्य पार्टी द्वारा प्रस्तावित स्थगन पर आपत्ति नहीं करना ।
Frequent adjournment being obtained or not objecting the adjournment moved by other party without sufficient reason.

- vi) विधि फर्म / अधिवक्ता को किसी विशिष्ट न्यायालय / ट्रिब्यूनल / अर्धन्यायिक के लिए सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा और वे सौंपे गए कार्य को स्वीकार करेंगे और उचित कारण के बिना किसी भी कार्य / असाइनमेंट को स्वीकार करने से इनकार नहीं करेंगे ।
The Law Firm / Advocate shall not be empanelled for any specific Court / Tribunal / quasi-judicial and shall accept the work assigned to them and shall not refuse to accept any work / assignment without reasonable cause.
- vii) समय-समय पर विधि फर्म / अधिवक्ता उन्हें सौंपे गए मामलों में एनपीसीआईएल के हितों को सुरक्षित रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएँगे। यदि किसी भी अधिकारी को एनपीसीआईएल, केकेएनपीपी स्थल की तरफ से अदालत के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक हो या किसी भी न्यायिक मामले में एनपीसीआईएल, केकेएनपीपी स्थल की ओर से अदालत में कोई दस्तावेज दाखिल करने की आवश्यकता हो, तो इस परिस्थिति में प्रासंगिक जानकारी एक सप्ताह पहले विधि अधिकारी के कार्यालय में सूचना देनी होगी ।
The Law Firm / Advocate will take all necessary steps to protect the interest of the NPCIL in matters entrusted to them from time to time. If any officer is require to appear before the court or any documentation is required to be filed before the court on behalf of NPCIL, KKNPP site in the case, relevant information must reach the office of Law Officer by one week in advance.
- viii) यह सूचीबद्धता किसी भी विधि फर्म/अधिवक्ता को अधिकार या दावा प्रदान नहीं करता कि एनपीसीआईएल द्वारा उन्हें ही कार्य सौंपा जाएगा ।
The empanelment does not confer any right or claim that the Law Firm / Advocate for entrusting the work by NPCIL.
- ix) विधि फर्म / अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना को सत्यापित / जाँच करने का अधिकार एनपीसीआईएल सुरक्षित रखता है ।
NPCIL reserves the right to verify / cross check the information furnished / submitted by the Law Firm / Advocate.
- x) एनपीसीआईएल इनमें से किसी भी कारणवश आवेदन को बिना कोई कारण बताए सरसरी तौर पर अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है । (i) निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत नहीं किए जाना या (ii) पात्रता मापदंडों में से कोई भी पूरा न होना या (iii) अपेक्षित दस्तावेजों / सूचनाओं का न होना या (iv) किसी भी रूप में अपूर्णता ।
NPCIL reserves the right to summarily reject the applications for any of the reasons (i) not submitted in the prescribed format or (ii) do not meet any of the eligibility criteria or (iii) not accompanied with requisite documents / information or (iv) incomplete in any respect, without assigning any reasons therefore.
- xi) एनपीसीआईएल, किसी भी समय, अपने विवेक से विधि फर्म / अधिवक्ता से कोई भी अदालत में लंबित मामले /अन्य कोई भी मामले / ब्रीफ आदि वापस ले सकता है ।
The NPCIL may, at any time, at its discretion withdraw from the Law Firm / Advocate any preceeding cour matters / matters / brief etc.

फर्म की ओर से उपर्युक्त नियोग्यताओं में से किसी के भी कारण सूचीबद्धता निरस्त किए जाने योग्य होगा ।

Empanelment shall be liable to be cancelled due to occurring of any of the above disablements on the part of the firm.

9. गोपनीयता Confidentiality

एनपीसीआईएल से प्राप्त सूचना/तथ्यों को, एनपीसीआईएल की लिखित सहमति के बिना किसी को भी प्रकट नहीं किया जाएगा ।

Information / facts obtained from NPCIL, will not be disclosed to any third party without the written consent of the NPCIL.

10. आवेदन कैसे करें **How to Apply**

इच्छुक अधिवक्ता/विधि फर्म निम्नलिखित पते पर ईओआई के साथ अनुलग्नक-I एवं अनुलग्नक-II में संलग्न प्रपत्र के अनुसार अपेक्षित दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतिलिपियां तथा शुल्क विवरण सहित अपना विस्तृत जीवन-वृत्त सीलबंद लिफाफे में भेज सकते हैं।

Interested Advocates/ Law Firms may send their detailed Bio -Data with self attested photocopies of required documents and schedule of fees as per the format enclosed as ANNEXURE- I & ANNEXURE - II with this EOI in a sealed envelop addressed to :-

वरिष्ठ प्रबंधक (विधि)

Senior Manager (Legal)

एनपीसीआईएल, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट

NPCIL, Kudankulam Nuclear Power Project,

कुडनकुलम, राधापुरम तालुक, Kudankulam, Radhapuram Taluk,

तिरूनेलवेली जिला, तमिलनाडु-627106

Tirunelveli District, TamilNadu - 627106.

इस कार्यालय में केवल **रजि./स्पीड पोस्ट** द्वारा दिनांक 20/04/2022 तक अथवा पहले प्रस्तुत करें। आवेदन एवं लिफाफा के ऊपर "अधिवक्ताओं के सूचीबद्धता के लिए आवेदन" लिखा होना चाहिए। नियत तिथि के बाद प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

by **Registered / Speed Post** only on or before **20/04/2022** to this Office. The application and envelop should be superscripted "Application for Empanelment of Advocates". No application shall be entertained, if received after the due date.

ईओआई के साथ लगाए जाने वाले दस्तावेज Documents to Accompany EOI

उक्त आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होने चाहिए :

The application shall be accompanied with the following documents :

- I. अभिरुचि की अभिव्यक्ति Expression of Interest.
- II. नियुक्त किए जाने वाले अधिवक्ताओं की टीम को समान प्रकार के कार्य के अनुभव के प्रयोजन से उनके शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव सहित व्यक्तिगत/ विधि फर्म का विवरण। (अनुलग्नक-I में)
Details of individual / Law Firm with Educational qualification and experience of the team of advocate to be deputed for the purpose of experience in similar type of work (in Annexure-I)
- III. उच्च न्यायालय/न्यायाधिकरण/श्रम न्यायालय, जिला न्यायालय/सीजीआईटी/कर बोर्ड/ कर न्यायालय में ड्राफ्टिंग/ प्रभावी सुनवाई हेतु वांछित राशि का विवरण, जो भी लागू हो। (अनुलग्नक-II में)
Details of amount sought for drafting / effective hearing at High Court / Tribunal / Labour Court, District Court / CGCIT / Tax Board / Tax Tribunal whichever is applicable (In Annexure-II).
- IV. कार्यक्षेत्र में वांछित कोई अन्य सूचना
Any other information sought in the Scope of work.

11. कठिनाई को दूर करना Removal of difficulty

इन दिशानिर्देशों के क्रियान्वयन के मामले में, इन दिशानिर्देशों के किसी खंड की व्याख्या के संबंध में यदि कोई संदेह अथवा कठिनाई उत्पन्न होते हैं तो, उसे सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा एवं उसमें कॉर्पोरेशन का निर्णय अंतिम होगा। तथापि किसी विवाद की स्थिति में एनपीसीआईएल कार्यविधि के अनुसार मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।

In the matter of implementation of these guidelines, if any doubt or difficulty arises regarding the interpretation of any of the clause of these guidelines, the same shall be placed before the Competent Authority and the decision of Corporation thereon shall be final. Further In case of dispute the provisions of Arbitration & Conciliation Act as per NPCIL procedure will be applicable.

नोट : यहाँ उपर्युक्त में कुछ भी कथन होने के बावजूद, एनपीसीआईएल केकेएनपीपी स्थल को पात्रता मानदंड पूर्ण करने वाले अधिवक्ता/विधि फर्म को सूचीबद्ध नहीं करने अथवा सूचीबद्धता प्रक्रिया स्थगित करने अथवा निरस्त करने अथवा किसी अधिवक्ता के सूचीबद्धता को इस संबंध में बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त करने के सर्वाधिकार सुरक्षित है ।

Note : *Notwithstanding anything stated herein above, the NPCIL, KKNPP site reserves its all rights not to empanel any Advocate / Law Firm even on fulfilling the eligibility criteria or postpone or cancel the process of empanelment or to terminate the empanelment of any Advocate at any time without assigning any reasons in this regard.*

अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जीवनवृत्त का प्रारूप
FORMAT FOR SUBMISSION OF BIO DATA BY ADVOCATE

1	अधिवक्ता का नाम/विधि फर्म का पता Name of the Advocate/ Law Firm address		
2	जन्म तिथि/ विधि फर्म का पंजीकरण की तिथि Date of Birth/ Registration of Law firm		
3	शैक्षिक योग्यताएं (प्रति संलग्न करें) Educational Qualifications. (Enclose Copy)		
4	बार काउंसिल का नाम एवं पंजीकरण की तिथि (प्रति संलग्न करें) Date of Enrolment and name of the Bar Council (Enclose Copy)		
5	मद्रास उच्च न्यायालय के मदुरै बेंच के अधिवक्ता के रूप में पंजीयन की तिथि (प्रति संलग्न करें) Date of enrolment as an Advocate-on- record of the Madras High Court / Madurai Bench of Madras High Court . (Enclose Copy)		
6	प्रेक्टिस की अवधि Period of Practice		
7	वर्षों का अनुभव Years of Experience	वर्ष Year	माह Month
	उच्च न्यायालय Madras High Court		
	Madurai Bench of Madras High Court		
	जिला/ सब न्यायालय District / Sub-Court		
	श्रम न्यायालय Labour Court		
	उक्त के अलावा अन्य कोई, यदि है Any other except above, if any		

8	अनुभव/प्रेक्टिस का विवरण Details of Experience/Practice	
9	प्रेक्टिस का क्षेत्र Area of practice	
10	विशेषज्ञता, यदि कोई हो तो Specialization, if any	
11	क्या सरकारी कौन्सेल/प्लीडर हैं (अवधि इंगित करें) Whether a central Government Counsel/Pleader (Indicate period)	
12	मुअक्किलों (केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्व.क्षेत्र के उपक्रम/आयोग/स्वायत्तशासी निकाय) की संक्षिप्त सूची (नियुक्ति पत्रों की प्रति संलग्न करें) Brief list of clients (Central Government/ State Government / PSU/ commission / Autonomous Bodies) (Enclose appointment letters)	
13	विधि फर्म/ अधिवक्ता विवरण Law Firm / Advocate Details	
	1. पैन नंबर (फोटोकॉपी संलग्न करें) PAN No. (Attach Photocopy)	
	2. जीएसटी नंबर (फोटोकॉपी संलग्न करें) GST No. (Attach Photocopy)	
	3. आधार नंबर (फोटोकॉपी संलग्न करें) AADHAR No. (Attach Photocopy)	
	4. वैध ई-मेल आईडी Valid e-mail ID's	
	5. संपर्क नंबर Contact Numbers	
14	वह न्यायालय जिसमें अधिवक्ता नियमित तौर पर प्रेक्टिस कर रहे हैं Courts where the Advocate is regularly practicing	
15	ईओआई:- कृपया अपनी विशेषज्ञता/ प्रेक्टिस के क्षेत्र को चिह्नित करें एवं अभिरूचि की अभिव्यक्ति । EOI : - Please tick your area of expertise / practices and expression of Interest	
	मद्रास उच्च न्यायालय, चेन्नै Madras High Court, Chennai	

	मद्रास उच्च न्यायालय के मदुरै बेंच Madurai Bench of Madras High Court, मदुरै – उच्च न्यायालय, सीएटी, सीजीआईटी Madurai – High Court, CAT, CGIT	
	वाणिज्यिक न्यायालय Other Courts	
	तिरुनेलवेली-वल्लियूर-राधापुरम सिविल, उपभोक्ता, श्रम, एमएसीटी, माध्यस्थता, भू- राजस्व आदि Tirunelveli – Vallioor - Radhapuram Civil, Consumer, Labour, MACT, Arbitration, Land Revenue etc.	
	नागरकोइल Nagercoil सिविल, उपभोक्ता, श्रम, एमएसीटी, माध्यस्थता, भू- राजस्व आदि Civil, Consumer, Labour, MACT, Arbitration, Land Revenue etc.	
16	अन्य कोई सूचना Any other information	
17	पिछले दो वर्षों में रिपोर्ट किए गए निर्णयों का विवरण यदि कोई है तो Details of reported judgement if any, in the last two years	

मैं / हम घोषणा करते हैं कि हमारे द्वारा एनपीसीआईएल केकेएनीपी को सूचीबद्धता के लिए ऊपर दी गई सभी जानकारी तथ्यात्मक रूप से एकदम सही है।

I / We declare that the information so provided by us for empanelment by the NPCIL, KKNPP site are factually correct.

दिनांक Date :

स्थान Place :

अधिवक्ता/लॉ फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर मुहर सहित
Signature of Advocate / The authorized representative
Of the Law Firm with Official Seal

ईओआई नं. एनपीसीआईएल/केकेएनपीपी/विधिक/ईओआई-01/2022/02
EOI NO: NPCIL/KKNPP / Legal/ EOI-01/ 2022/02

शुल्क की अनुसूची SCHEDULE OF FEES

कृपया प्रदान किए जाने वाले निम्नलिखित सेवाएं के संबंध में अपनी दरें उद्धृत करें :

Kindly quote your rates in respect of the following services to be provided:

क्र.सं. Sl. No.	विवरण Particulars	रु Rs.	
		उच्च न्यायालय High Court	केंद्रीय प्रशासनिक अभिकरण, सीजीआईटी, कर प्राधिकरण, जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय इत्यादि CAT, CGIT, Tax Tribunals, District Courts & Subordinate Courts etc
1.	मसौदा लेखन, अभिवचन हेतु यथा: For Drafting, Pleading i.e.: a. याचिका/ हलफनामा Petition/ Affidavit. b. काउंटर, प्रत्युत्तर, आवेदन, आपत्ति सूचना, नोटिस, दस्तावेज इत्यादि Counter, Rejoinder, Application, Caveat, Notice, Documents, etc.		
2.	मद्रास उच्च न्यायालय/मद्रास उच्च न्यायालय के मदुरै बेंच, न्याय प्राधिकरण इत्यादि की सुनवाई में उपस्थित होना अथवा इनके समक्ष प्रस्तुत होना जिसमें वाद अथवा अंतर्वर्ती आवेदन आवेदन प्रस्तुत करना इत्यादि सम्मिलित हैं । For appearance/attending the hearing including admission of cases or any interlocutory application, etc. before Madras High Court / Madurai Bench of Madras High Court, Tribunals etc.: (i) प्रभावी सुनवाई शुल्क Effective hearing charges : a) प्रथम सुनवाई First hearing b) तदन्तर सुनवाई Subsequent hearings (ii) प्रभावेत्तर सुनवाई के लिए For non-effective hearing (iii) विधिक परामर्श प्रदान करने हेतु For rendering legal opinions		

	(iv) दस्तावेजों का सत्यापन Attestation of documents (v) माध्यस्थता कार्यवाही Arbitration proceedings		
3.	न्यायालयीन मामलों के अलावा अन्य मामलों में विधिक राय Legal Opinion in matters other than Court Matters		
4.	सम्मेलन, बैठक एवं गोष्ठियों में उपस्थिति हेतु For attending conferences, meetings and discussions: a) वरिष्ठ कौन्सेल Senior Counsels b) कौन्सेल Counsels		
5.	बाहरी प्रकरण (मद्रास उच्च न्यायालय के मदुरै बेंच के बाहर किसी भी न्यायालय/न्यायाधिकरण/अर्ध न्यायिक प्राधिकरण में प्रकरण) Out Station Cases (Cases at any Court /Tribunal/Quasi Judicial Authority outside the Madurai Bench of Madras High Court)		
6.	लिखाई शुल्क Clearkage		
7.	जेब खर्च जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं: Out of pocket expenses including: A. आवश्यकतानुसार विचार-विमर्श हेतु अथवा माननीय उच्च न्यायालय/न्यायाधिकरण में उपस्थित होने के लिए नियुक्त वरिष्ठ कौन्सेल एजी/एसजी/एएसजी को बिल/मेमो प्रस्तुत करने पर कॉर्पोरेशन द्वारा शुल्क का भुगतान वास्तविक आधार पर किया जाएगा। Payment to Senior Advocate AG/SG/ASG is engaged for conference or his appearance before the Hon'ble High Court/Tribunal, as per the requirement, the fess shall be paid by the Corporation on actual basis on production of bill/memo. B. टाइपिंग, स्टॉम्प, जेरोक्सिंग एवं अन्य विविध व्यय। Typing, stamps, Xeroxing and other misc. expenses.		

	<p>C. बिल/मेमो प्रस्तुत करने पर आऊटस्टेशन प्रभार, यात्रा व्यय एवं अन्य आनुषांगिक व्यय। Out station charges, travelling expenses and other incidental charges on production of bill/memo.</p> <p>D. कोर्ट/न्यायाधिकरण के समक्ष वाद, वादपत्र, आवेदन फाइल करने के लिए कोर्ट शुल्क, कोर्ट से प्रमाणित प्रति, नोटरी प्रभार यदि कोई हो, इत्यादि । Court fee for filing suit, plaint, application before the Court / Tribunal, Certified Copy from the Court, Notary charges if any, etc.</p>		
6.	कर एवं अन्य सांविधिक शुल्क, यदि कोई हो तो Taxes and other statutory charges, if any.		

दिनांक Date :

स्थान Place :

फर्म/अधिवक्ता के अधिकृत हस्ताक्षर मुहर सहित
Authorized Signatory of Firm / Advocate
With seal